Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

1/7/20

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 196/2018

प्रथम पक्ष

1. रामेश्वर साह,
2. रोहित साह

सभी पिता स्व0 दशरथ साह साकिनान– आरापट्टी, टोला– मुरली, पो0–आरापट्टी, थाना+अंचल–महिषी, जिला– सहरसा

बनाम

द्वितीय पक्ष

1. अशोक साह पे0 स्व0 प्रियव्रत साह
2. मनोज साह पे0 स्व0 प्रियव्रत साह
3. बिनोद साह पे0 स्व0 प्रियव्रत साह
4. कुमोद साह पे0 स्व0 प्रियव्रत साह
5. सुबोध साह पे0 स्व0 प्रियव्रत साह
6. तारकिशोर साह पे0 स्व0 मोती साह
7. फुलेश्वर साह पे0 स्व0 मोती साह

सभी साकिनान– आरापट्टी, टोला– मुरली, पो0– आरापट्टी, थाना+अंचल–महिषी, जिला– सहरसा

..... विपक्षी प्रथम पक्ष

8. अंचल अधिकारी, महिषी

..... विपक्षी द्वितीय पक्ष

.....

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद आवेदकगण प्रथम पक्ष रामेश्वर साह एवं अन्य के द्वारा प्रतिपक्षी अशोक साह एवं अन्य के पक्ष में अंचल महिषी मौजा आरापट्टी थाना नं0 86 अंतर्गत कायम जमाबंदी सं0 1581 के रद्दीकरण हेतु दिनांक 14.12.2018 को दाखिल किया गया है। जिसे दिनांक 15.12.2018 को सुनवाई के उपरांत ग्रहण करते हुए संबंधित पक्षकारों को सूचना निर्गत कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। विवादित जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
आरापट्टी	86	536, 537, 538, 539	83	12 डिसमल

आवेदकगण का कथन है कि प्रश्नगत जमीन आवेदकगण तथा विपक्षीगण के पूर्वजों की खतियानी जमीन है, एवं बहिस्सा बराबर दर्ज है। दोनों पक्षों के पिता के नाम खतियान के आधार पर पूर्व से जमाबंदी चली आ रही है, जिसका जमाबंदी बंटवारा आज तक नहीं हुआ है किन्तु विपक्षीगण ने जाल फरेबी से बंटवारानामा बना कर जमाबंदी नं0 1581 अपने नाम कायम करवा लिया, जिसकी कुछ भी जानकारी आवेदकगण को नहीं होने दिया।

आवेदक ने अपने आवेदन के साथ दाखिल खारिज अपील वाद सं0 95/2016–17 के संपूर्ण आदेश फलक की प्रति, हाल सर्वे खतियान मौजा आरापट्टी थाना नं0 86 खाता नं0 537, 538, 539 की छायाप्रति तथा मालगुजारी रसीद की छायाप्रति संलग्न की है।

विपक्षी प्रथम पक्ष ने दि0 10.06.2019 को जबाब दाखिल किया है। उनका कथन है कि आवेदकगण तीन भाइयों में से दो भाई हैं तथा इनके द्वारा थाना नं0 86 अंतर्गत प्रियव्रत साह के नाम कायम जमाबंदी सं0 1581 के रद्दीकरण हेतु लाया गया वाद चलने

Serial Number and date of order. 1	Order and signature of officer 2	Note or action taken on order with date 3

के काबिल नहीं है। इनका आगे कथन है कि कंडिका 01 में आवेदक द्वारा किया गया बयान बिल्कुल गलत है। इनके अनुसार सर्वे के पूर्व से ही खतियानी रैयत आपस में बंटवारा कर अलग–अलग रहते आये हैं तथा अपने–अपने हिस्से की जमीन समय–समय पर खरीद बिक्री भी किये हैं। सर्वे फाइनल होने के पश्चात भी खरीददार का दखल कब्जा प्रश्नगत भूमि पर रहा है तथा हाल सर्वे के प्रकाशित होने के बहुत पहले ही नया खाता 536, 537, 538 वो 539 के अधिकांश भूमि का बिक्री अपने हिस्से एवं दखल कब्जा के अनुसार किया गया है। प्रतिपक्षी का यह भी कथन है कि आवेदक की कंडिका 2 में आवेदक का यह कहना कि रामेश्वर साह करपरदार है सत्य नहीं है। इन्होंने खतियानी रैयत का वंश वृक्ष दिया है, जो निम्न प्रकार है–

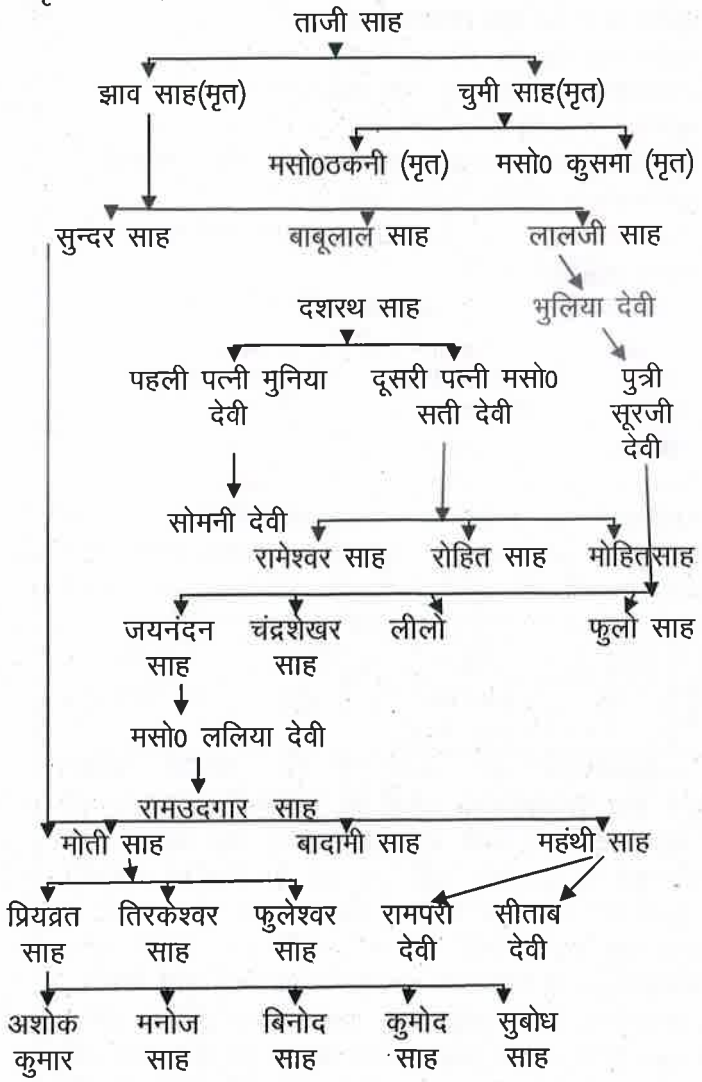

प्रतिपक्षी का आगे कथन है कि आवेदक द्वारा हाल सर्वे खतियान खाता नया 536, 537, 538 तथा 539 अंदर मौजा आरापट्टी का बताते हुए मुकदमा लाया गया है तथा इसमें खयितानी रैयत के सभी वारिसानों का आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बनाया गया है। इनका कथन है कि आवेदक का अपील

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

आवेदन पूर्व में ही भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा बिलंब से दाखिल करने के कारण खारिज किया जा चुका है। इनका आगे कथन है कि खतियानी रैयत ताजी साह के दो लड़का झाव साह वो भूमि साह थे, भूमि साह की दो लड़की मसो0 फेकनी वो कुसमा हुई जिन्होंने भूमि साह तथा उनकी पत्नी के मरने के उपरांत भूमि साह के हिस्से की जमीन बिक्री कर दिये। झाव साह के तीन लड़के सुन्दर साह, बाबूलाल साह वो लालजी साह हुए। सुन्दर साह, बाबूलाल साह तथा लालजी साह आपस में विभक्त हो गए। सुन्दर साह के भी तीन लड़के मोती साह, बदामी साह वो महंथी साह हुए। बदामी साह नावल्द मर गये तथा महंथी साह के दो लडकी रामपरी देवी वो सिताब देवी हुई तथा इन दोनों बहनों से निबंधित केवाला द्वारा उन्हें जमीन प्राप्त है। बाबूलाल साह को एक लड़का दशरथ साह हुए जिनकी पहली पत्नी मुनिया देवी थी। मुनिया देवी के एकमात्र संतान सोमनी देवी हुई तथा मुनिया देवी के मरने के पश्चात सोमनी देवी ने भी अपने हक और हिस्से की एराजी भिन्न–भिन्न लोगों को बिक्री कर दिये। जो सभी अपने जमीन पर काबिज हैं। दशरथ साह की दूसरी पत्नी मसो0 सीता देवी थी तथा उनके तीन लड़के – रामेश्वर साह, रोहित साह वो मोहित साह हुए। जिसमें से रामेश्वर साह वो रोहित साह इस वाद के आवेदकगण हैं। लालजी साह की पत्नी भूलिया देवी थी, जिन्होंने केवाला सं0 16371 दि0 01.07.1974 के द्वारा रकवा 05 बीघा 10 कट्ठा 13 धूर अंदर मौजा आरापट्टी, 01 बीघा 12कट्ठा 01 धूर 05 धुरकी अंदर मौजा खिरहो, कुल रकवा 07 बीघा 02 कट्ठा 15 धूर 05 धुरकी बिक्री कर दखल कब्जा दे दिये। इन्हीं तथ्यों के आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0 26/88–89 दि0 04.03.1989 बहुकूम भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश से जमाबंदी नं0 22 रकवा 05 बीघा 10 कट्ठा 13 धूर के लिए कायम है तथा इसी आधार पर मालगुजारी रसीद निर्गत है। तत्पश्चात नये सर्वे खतियान के आलोक में पुनः उसी भूमि का दाखिल खारिज वाद सं0 4888/15–16 के द्वारा पूर्व की जमाबंदी सं0 22 को नया जमाबंदी सं0 1581 में परिणत किया गया है तथा उसी आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने प्रतिपक्षी के दावा को सही मानते हुए आवेदक के अपील आवेदन को खारिज किया है। इनका यह भी कहना है कि मौजा खिरहो की भूमि भी मसो0 भूलिया देवी से विपक्षीगण को खरीद है जिस पर आवेदक गण के द्वारा अधिकार वाद सं0 40/18 अवर न्यायाधीश प्रथम, सहरसा के यहाँ लंबित है। इन्होंने आवेदक के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना तथा दोनों पक्षों द्वारा दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्ता ने वाद सं0 95/2016–17 में दिनांक 21.06.2018 को पारित अपने आदेश में उल्लेख किया है कि –" अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 1988–89 में पारित नामांतरण के लगभग 28 वर्षो बाद प्रस्तुत अपील वाद दायर किया गया है तथा अपीलार्थी के अपील आवेदन के साथ निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की प्रति भी संलग्न नहीं है। अवलोकन से यह विदित होता है कि निम्न न्यायालय के आदेश की प्रति अपील वाद पत्र के साथ संलग्न नहीं रहने से उक्त दाखिल खारिज वाद में अंचलाधिकारी महिषी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, साथ ही प्रश्नगत

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

दाखिल खारिज वाद के निष्पादन के इतने दिनों बाद अपील वाद को सुना जाना भी सही वो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।" उपरोक्त आलोक में इन्होंने अपील वाद को निष्पादित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि समरूप मामले में अधिकार वाद संख्या 40/18 व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 95/16–17 में दि0 21.06.2018 को पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। तदालोक में आवेदक द्वय द्वारा लाया गया यह जमाबंदी रद्दीकरण वाद पोषणीय नहीं रहने के कारण खारिज किया जाता है। उक्त आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पक्षकार अपना–अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

19/9/20
अपर समाहर्ता,
सहरसा

19/9/20
अपर समाहर्ता,
सहरसा